सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 146/2019

1. जसवीर कौर पत्नी प्रशान्त सागर पुत्र साधू सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी सब्जी मण्डी के पास श्रीगगानगर
2. रोहित पुत्र प्रशान्त सागर पुत्र साधू सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी सब्जी मण्डी के पास श्रीगगानगर
3. पूनम पुत्री प्रशान्त सागर पुत्र साधू सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी सब्जी मण्डी के पास श्रीगगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. सुखवीर सिंह
2. जवाहर लाल
3. केसरीचन्द

} पिसरान करतार सिंह अकवाम कुम्हार निवासी नजदीक सब्जी मण्डी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

4. गीता देवी पत्नी साधू सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 13 नजदीक सब्जी मण्डी पुरानी आबादी श्रीगगानगर
5. कवेलरी पुत्री साधू सिंह, पत्नी प्रदीप कुमार जाति कुम्हार निवासी ई/636 कुम्हारांवाली गली नजदीक सीताराम मंदिर, फाजिल्का (पंजाब)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नम्बर मुकदमा 146/2019
जसवीर कौर बनाम सुखवीर सिंह

— :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: —

1. श्री मोहनलाल माहर —प्रार्थीगण
2. श्री शिवभगवान परिहार —अप्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 06.12.2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 4 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/86 के मुश्तर्का खाता मे मुरब्बा नम्बर 37 के 2.351 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 38 के 0.683 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 77/17 के 0.126 हैक्टेयर तथा मुरब्बा नम्बर 77/19 के 0.078 हैक्टेयर कुल 3. 236 हैक्टेयर कृषि भूमि मे 0.909 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 4—5 के साथ खातेदारी दर्ज है चूंकि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के रोज उपस्थित नहीं थे, इसलिये उन्हे औपचारिक अप्रार्थीगण बनाया गया है। प्रार्थीगण को पारिवारिक समझौता मे वाके चक 4 जैड के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6 ता 10 कुल 0.909 हैक्टेयर कृषि भूमि दी गई है तथा उसी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 काबिज काश्त है। वर्तमान मे प्रार्थीगण ने फसल सावनी काश्त कर रखी है जो पक कर तैयार है। चक 4 जैड के मुरब्बा नम्बर 36, 37, 38 के किला नम्बर 1 ता 5 मे उतर दिशा की तरफ स्वीकृत शुदा रास्ता प्रचलित है जो श्रीगंगानगर—हिन्दूमलकोट मुख्य सड़क से पश्चिम—पूर्व की ओर जोड़ता है। प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5 के पूर्व दिशा की ओर खाला के साथ रास्ता का उपयोग व उपभोग काफी वर्षो सो करते आ रहे है। उक्त किला नम्बर 5 मे घरेलू प्रचलित रास्ता था जो काश्त की व्यवस्था हेतु छोड़ा गया था। वर्तमान मे प्रार्थीगण की फसल पककर तैयार है। जिसकी समुचित व्यवस्था हेतु प्रार्थीगण के पास यही एक मात्र प्रचलित रास्ता था, हिजसे अप्रार्थीगण ने पक्की दीवार बनाकर रोक दिया, यही नहीं खाला की सीमा के भीतर जाकर निर्माण कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आवक—जावक एक दम बन्द हो गई और पक्की फसल खराब हो रही।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण ने मौखिक रूप से दिनांक 20–09–2019 को अप्रार्थीगण को कहा कि प्रचलित रास्ता को सहमति से स्वीकृत करवा लेवें लेकिन अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये, यही वाद कारण है। प्रार्थीगण को वर्तमान समय मे रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है। रास्ता के अभाव मे प्रार्थीगण की फसल खराब हो रही है और प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। जिससे अपनी फसल की समुचित व्यवस्था कर सके। रास्ता की एवज् मे मुआवजा देने हेतु प्रार्थीगण तत्पर है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 25 1 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कर निवेदन है कि चक 4 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20, 86, 72 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5 मे पूर्वी दिशा की तरफ उतर से दक्षिण मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 15.11.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20, 86, 72 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5 में पूर्वी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं।

स्टेट की ओर से जरिए क्रमांक 1262 दिनांक 31.10.2019 रिपोर्ट पेश हुई। दिनांक 25.11.2019 को अप्रार्थी सुखवीर सिंह द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश कर शपथ पत्र में निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में एक अपील अनवानी सुखवीर सिंह बनाम केसरीसिंह प्रस्तुत की हुई है जिसमे स्थगन आदेश है। प्रार्थीया जसवीर कौर के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)राज. काश्त. अधि. में किला नम्बर 5 के पूर्वी दिशा में रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना पत्र में यदि रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिकर को कोई ऐतराज नही है तथा मैं मिकर अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करूंगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

20, 86, 72 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5 मे पूर्वी दिशा की तरफ उतर से दक्षिण मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर उक्तानुसार रास्ते का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक **06.12.2019** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:16:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: